न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री शक्ति सिंह राठौड़ आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2024/1043/ जिला–अजमेर

खेमा पुत्र लक्ष्मण जाति जाट उम्र करीबन 80 वर्ष निवासी ग्राम बरडा की ढाणी, भदूण तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

———अपीलार्थी

बनाम

1. कानी पत्नी भंवरलाल
2. परमाराम पुत्र भंवरलाल
3. रामेश्वर पुत्र भंवरलाल
4. श्रवण पुत्र रामा
5. छोटू पुत्र गोविन्द
6. हरकरण पुत्र गोविन्द
7. देवाराम पुत्र भूराराम

   सर्व जाति जाट सर्व निवासीगण ग्राम बरडा की ढाणी, भदूण तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
8. तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर।

———प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 16–04–2021
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 19/2021
बउनवान सरकार बनाम भदूण खसरा नम्बर 254 इत्यादि

उपस्थित– 1. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री शांति प्रकाश ओझा प्रत्यर्थी संख्या–1 से 4

निर्णय

दिनांकः–01–12–2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, रूपनगढ द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के समक्ष राजस्व अभिलेख में चालू रास्ते की दुरूस्ती हेतु राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66, 86 अन्तर्गत धारा 131, 132 के तहत ग्राम भदूण तहसील रूपनगढ के खसरा नम्बर 254, 743/254, 744/254, 263 में से जा रहे रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में

संभागीय आयुक्त
अजमेर

कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार, रूपनगढ द्वारा अपनी अनुशंषा सहित दस्तावेजात नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, सहमति पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का भदूण प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा अपने आदेश दिनंक 16–4–2021 द्वारा खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 254 में से रास्ता निकालने का आदेश पारित कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थीगण की ग्राम भदूण स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 254 में से बिना राजस्व रिकार्ड एवं मौका देखे रास्ता निकालने का आदेश पारित कर दिया जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करके खसरा नम्बर 254 के मिन बट्टा नम्बर कायम करके वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 941/254 रकबा 0.0890 हैक्टेयर भूमि में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 1882 दिनांक 09.09.2021 स्वीकृत कर दिया गया एवं अपीलान्ट की भूमि के मिन बट्टे नम्बर कायम कर खसरा नम्बर 942/254 रकबा 1.9960 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 977/940 रकबा 1.3613 हैक्टेयर दर्ज कर दिया इस प्रकार अवैधानिक रूप से न तो मौके पर रास्ता था एवं ना ही राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज था उसके बावजूद भी अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत काश्तकारों/खातेदारों के सहमती पत्र प्रस्तुत किये है किन्तु उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की किसी भी प्रकार से कोई सहमती नहीं ली है एवं ना ही किसी प्रकार के कोई हस्ताक्षर है एवं ना ही अपीलान्ट को किसी प्रकार से उक्त आदेश की कोई जानकारी है। नियमों में प्रावधान है कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 में राजस्व ट्रेस में दुरूस्ती कर सकते है जबकी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने बिना नोटिस दिये, मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर खातेदारी की आराजियात में से रास्ते का आदेश पारित कर दिया गया जबकी धारा 131, 132 में राजस्व ट्रेस में दुरुस्ती व संशोधन किया जा सकता है एवं नियम 58. 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारने के लिये प्रपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है एवं मौके की रिपोर्ट एवं प्रभावित काश्तकारों को सुनवाई की जाकर दुरुस्ती की जाती है जबकी उक्त प्रकरण में न तो कोई इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण है एवं ना ही मौके पर कोई रास्ता है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी विवेकीय शक्तियों का दुरुप्रयोग करते हुये रेस्पोडेन्ट्स से

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर
संभागीय आयुक्त अजमेर

मिली भगत करके अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 254 में से रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट्स आपस में एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी आराजी में आने–जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 949/263 रास्ता था फिर भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आपस में मिली भगत करके पटवारी से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करवा कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपीलान्ट की खातेदारी आराजी में रास्ता इन्द्राज करवा दिया गया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि आर०आर०टी० 2013 (1) पेज नम्बर 452 में अभिनिर्धारित किया है कि "Obiter dicta is binding on subordinate courts if given after full hearing" विधि के प्रावधानानुसार वादग्रस्त आराजियात के प्रभावित पक्षकार को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही न्यायालय निर्णय दे सकता है जबकी उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा न तो सहमती पत्र दिये गये और न ही खातेदारों के आदेशिका में हस्ताक्षर ही है एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन खातेदारों की तस्दीक की गयी है तथा अपीलान्ट को न तो नोटिस जारी किया गया एवं ना ही सहमती ली गई। राजस्व अधिकारियों से मिलकर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में रास्ता अंकित करवा दिया गया है जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि Cyclostyled order cannot be termed as speaking order कोई भी आदेश Pre-judice होकर नहीं दिया जा सकता है उक्त प्रकरण में अपीलान्ट के अधिकारों को एवं आराजी को खुर्द–बुर्द करने की मंशा से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि प्रस्तुत्त प्रकरण में अपीलान्ट खसरा संख्या 254 का तन्हा खातेदार /काश्तकार है जिसकी आराजी में से जो रास्ता निकाला गया है उसके पश्चात् खसरा नम्बर 254 के दो टुकडे हो गये है यदि पडौसी खातेदार को रास्ता चाहिए होता है या लोक हित में रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तब भी किसी खातेदार की जोत के दो टुकडे करने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नही है सर्व प्रथम तो तन्हा खातेदार को इस बाबत सुनना चाहिए था अन्यथा अगर उसके खेत में से रास्ता भी दिया जाना था तो खेत की पाल/मेड के साहरे–साहरे से रास्ता दिया जा सकता था किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में तो अपीलान्ट के खेत के ही दो टुकडे कर दिये ऐसी स्थिती में अब यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 16.04.2021 की पालना मौके पर की जाती है तो उसके पश्चात् अपीलान्ट के खेत के दो टुकडे हो जायेगे एवं इसका सीधा प्रभाव अपीलान्ट की कृषि से प्राप्त आजीविका पर पडेगा जिसकी पूर्ति मुद्रा में नहीं की जा

न्यायालय संभागीय आयुक्त सत्यमेव जयते अजमेर

संभागीय आयुक्त अजमेर

सकती है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–04–2021 खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ द्वारा तहसीलदार, रूपनगढ की अनुशंषा एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर बारहमासी चालू रास्तों का राजस्व अभिलेख व नक्शे ट्रेस में अंकन हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ही किया हैं जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 254, 743/254, 744/254, 263 में से मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड में जनहित व लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए गैर मुमकिन रस्ता दर्ज किये जाने एवं रास्ते के नजरी नक्शे अनुसार तरमीम करने तथा पृथक से बटा नम्बर डालकर वर्तमान खातेदारों के खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा न्यायहित में सार्वजनिक रास्तों का जो वर्तमान में चालू है, का राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करने हेतु तहसीलदार, रूपनगढ को आदेश दिये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ द्वारा तहसीलदार, रूपनगढ की अनुशंषा एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर बारहमासी चालू रास्तों का राजस्व अभिलेख व नक्शे ट्रेस में अंकन हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार ही किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 254, 743/254, 744/254, 263 में से मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड में जनहित व लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए गैर मुमकिन रस्ता दर्ज किये जाने एवं रास्ते के नजरी नक्शे अनुसार तरमीम करने तथा पृथक से बटा नम्बर डालकर वर्तमान खातेदारों के खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा निर्णय में प्रकियात्मक त्रुटि की है जो कि पीठासीन अधिकारी की न्यायालय की प्रकिया के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है क्योंकि समत संबंधित पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। पटवारी फर्द रिपोर्ट दिनांक 27–11–2020 अनुसार ग्राम भदूण स्थित खसरा नम्बर 254, 743/254, 744/254, 263 की भूमि खातेदारी में दर्ज है। मौके पर डामर सड़क से एक रास्ता खसरा नम्बर 254, 743/254,

न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर सत्यमेव जयते

संभागीय आयुक्त अजमेर

744/254, 263 की भूमि में से होकर खसरा नम्बर 758/274 की भूमि बरड़ा की ढाणी को गुजर रहा है। चूंकि प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया गया है और साथ ही उक्त रास्ता वर्तमान में रास्ता चालू होना बताया है। उक्त रास्ता पिछते कई वर्षो से चालू होना बताया जिसका पक्षकारान आवागमन हेतु उपयोग कर रहे है जिसको निरस्त किये जाने का औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण खातेदारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने हेतु रास्ते से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–04–2021 की विषयवस्तुत विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप इस स्तर पर किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–04–2021 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 19/2021 बउनवान सरकार बनाम भदूण विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–12–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर